



**इलाहाबाद उच्च न्यायालय, खण्डपीठ
लखनऊ**

अनुच्छेद 227 के अंतर्गत वाद संख्या - 848 वर्ष 2026

राज कली

.....याची(गण)

बनाम

स्वामीनाथ

.....प्रतिवादी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : अरुण कुमार त्रिपाठी, सूर्य देव शर्मा, युगल त्रिपाठी

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता :

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति आलोक माथुर

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण कुमार त्रिपाठी को सुना गया।

2. वर्तमान याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता सिविल जज (जूनियर डिवीजन), न्यायालय संख्या 26, प्रतापगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.8.2024 को चुनौती दे रही है, जिसमें उन्होंने आदेश 9 नियम 7 सि.प्र.सं. के तहत आवेदन को स्वीकार कर लिया है, जिसके द्वारा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पूर्व में वाद की कार्यवाही को प्रतिवादियों / विपक्षीगण के विरुद्ध एकपक्षीय रूप से चलाने का निर्देश दिया गया था।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 6.6.2018 के विक्रय अनुबंध के आधार पर विनिर्दिष्ट अनुपालन हेतु एक वाद दायर किया गया था, जिसके द्वारा विपक्षीगण ग्राम बनवरपुर, परगना पट्टी, तहसील रानीगंज, जिला प्रतापगढ़ में स्थित गाटा संख्या 41 क्षेत्रफल 0.01265 हेक्टेयर और गाटा संख्या 41M क्षेत्रफल 0.0126 हेक्टेयर के आधे हिस्से को कुल 3 लाख रुपये के प्रतिफल में बेचने के लिए सहमत हुए थे, जिसमें से याचिकाकर्ता ने 2 लाख रुपये का प्रतिफल दिया था और तत्पश्चात, विक्रय प्रतिफल के रूप में विपक्षीगण को 50000 रुपये दिए गए थे। इसके बाद, विपक्षीगण ने विक्रय विलेख निष्पादित नहीं किया। जिसके अनुसरण में याचिकाकर्ता ने अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन), प्रतापगढ़ के न्यायालय में विनिर्दिष्ट अनुपालन हेतु एक वाद दायर किया। ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्षीगण को नोटिस की तामील होने के बावजूद, विपक्षीगण उपस्थित नहीं हुए और परिणामस्वरूप आदेश दिनांक 1.5.2023 के माध्यम से कार्यवाही को प्रतिवादियों के विरुद्ध एकपक्षीय रूप से चलाने का निर्देश दिया गया। विपक्षीगण द्वारा आदेश दिनांक 1.5.2023 को अपास्त करने हेतु एक आवेदन इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि उन्हें वाद की कार्यवाही की जानकारी नहीं थी और उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि पिछले अवसर पर प्रतिवादियों की ओर से कुछ आवेदन दायर किए गए थे जिनमें प्रतिवादियों के फर्जी हस्ताक्षर थे और प्रार्थना की कि पिछले आवेदन पर संज्ञान न लिया जाए।

4. विचारण न्यायालय ने परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार करने के पश्चात यह मत व्यक्त किया कि प्रतिवादियों द्वारा वाद की कार्यवाही में अनुपस्थिति को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आधार बताए गए हैं और परिणामस्वरूप 500 रुपये के हर्जाने पर पूर्व आदेश दिनांक 1.5.2023 को खारिज कर दिया।

5. विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.8.2024 को अपर जिला जज, प्रतापगढ़ के समक्ष पुनरीक्षण में चुनौती दी गई थी। पुनरीक्षण न्यायालय ने भी परस्पर विरोधी तर्कों और मुकदमे के संपूर्ण तथ्यों पर विचार किया और पाया कि विचारण न्यायालय का आदेश न्यायोचित था और उसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी और परिणामस्वरूप पुनरीक्षण को खारिज कर दिया।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत प्रस्तुत वर्तमान याचिका में इस न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दोनों आदेशों को चुनौती दी है। इस न्यायालय ने संपूर्ण तथ्यों का परीक्षण करने के पश्चात यह पाया कि विचारण न्यायालय के समक्ष न्यायोचित कारण बताए गए हैं, जिन पर आदेश 9 नियम 7 सि.प्र.सं. के तहत आवेदन पर विचार करते समय विधिवत विचार किया गया है और तदनुसार उसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने मामले पर कुछ समय तक बहस करने के पश्चात यह तर्क दिया कि यदि विचारण की कार्यवाही को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए शीघ्रता से निपटाया जाता है कि वह वर्ष 2019 से लंबित है, तो याचिकाकर्ता की शिकायतों का पर्याप्त निवारण हो जाएगा।



7. इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि इस न्यायालय ने प्रशासनिक स्तर पर पहले ही अधीनस्थ न्यायालयों को उन मुकदमों में शून्य लंबितता प्राप्त करने के निर्देश जारी किए हैं जो पांच वर्ष से अधिक पुराने हैं। प्रशासनिक स्तर पर पहले से जारी निर्देशों के आलोक में, यह न्यायालय न्यायिक स्तर पर कोई अन्य आदेश पारित करने का इच्छुक नहीं है।

8. हालांकि, याचिकाकर्ता के लिए संबंधित न्यायालय के समक्ष, जहाँ मामला लंबित है, त्वरित सुनवाई हेतु उचित आवेदन देने का विकल्प सदैव खुला है।

9. उपरोक्त टिप्पणियों/निर्देशों के साथ, याचिका **निस्तारित** की जाती है।

(न्यायमूर्ति आलोक माथुर)

मार्च 24, 2026

जे. के. दिनकर